न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 26/2017 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. रोशन पुत्र श्री आनन्दा जाति माली निवासी ग्राम भण्डोडी तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0 ।
2. मीरा पुत्री श्री आनन्दा जाति माली निवासी ग्राम भण्डोड़ी तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0 ।

.....वादीगण/ अपीलांटान

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर अलवर ।
2. तहसीलदार मालाखेड़ा तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0 ।

.....प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–
1.श्री टेकचन्द सैनी, अभिभाषक अपीलांट
2.श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–30.08.2018

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 30.03.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटान ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 1119 रकबा 10 ऐयर वाके ग्राम भण्डोड़ी तहसील मालाखेड़ा में स्थित है जो वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है । विवादित आराजी का साबिक ख0 नं0 455 रकबा 3 बीघा जिसके हाल ख0 नं0 1117 रकबा 25 ऐयर, 1118 रकबा 40 ऐयर व 1119 रकबा 10 ऐयर किता 3 कुल रकबा 0.75 ऐयर बने हैं जिसका खातेदार काश्तकार सोन्या पुत्र रामकिशन उर्फ रामजीवन था जो कि वादीगण के दादा थे जिनके स्वर्गवास के बाद विवादित आराजी वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को विरासत में प्राप्त हुई । वादीगण के पिता आनन्दा पुत्र सोन्या का भी स्वर्गवास हो गया था जिसकी विरासत

सभी वादीगण के नाम नहीं खुली है । बन्दोबस्त सम्वत् 2058 में विवादित आराजी ख0 नं0 1119 रकबा 0.10 ऐयर को मनमाने तरीके पर गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दिया जो इन्द्राज अभी तक कायम चला आ रहा है । माह दिसम्बर 2015 में प्रतिवादी सं0 2 ने विवादित आराजी पर आकर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में बेजा रूकावट, मजाहमत पैदा की । विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज रेकार्ड है । इसलिए विवादित आराजी में रास्ता कायम किया जावेगा । वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को विवादित आराजी से बेदखल किया जावेगा । विवादित आराजी में कोई रास्ता कभी कायम नहीं रहा है न ही साबिक रेकार्ड एवं नक्शें में कोई रास्ता दर्ज है । हाल बन्दोबस्त में नक्शा में भी विवादित आराजी में रास्ता दर्ज कर दिया तथा वादीगण कागजात माल में दुरूस्ती करवाने व गै0मु0 रास्ता के इन्द्राजात को कलमजन करवानां चाहते हैं । अतः ताफेसला दावा प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें । विद्धान तहत न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पेश किया । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनकर वादीगण का प्रार्थना पत्र दि0 30.03.2017 खारिज कर दिया जिस निर्णय दिनांक 30.03.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी को विरासत में प्राप्त हुई है तथा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण वर्तमान में विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं । यहां यह उल्लेखनीय है कि वादीगण के पिता श्री आनन्दा पुत्र सोन्या का स्वर्गवास दि0 4.9.2015 को हो गया था जिसकी विरासत अभी वादीगण के नाम नहीं खुली है । विवादित आराजी की किस्म बंजड़ दोयम अज बारानी सोयम साबिक रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2037 में दर्ज रेकार्ड है किन्तु बन्दोबस्त सम्वत् 2058 में विवादित आराजी ख0 नं0 1119 रकबा 0.10 ऐयर को खिलाफ कानून व खिलाफ मौका मनमाने तरीके पर बन्दोबस्त कर्मचारियों ने गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया जो इन्द्राज अभी तक कायम चला आ रहा है । दिसम्बर 2015 में प्रतिवादी सं0 2 ने विवादित आराजी पर आकर वादीगण व तरतीबी प्रति0 के कब्जे काश्त में बेजा रूकावट व मजाहमत पैदा की और विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज रहने से वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी ।

बहस में आगे कहा कि तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में यह दर्ज किया कि वादीगण/अपीलांट का राजस्व रेकार्ड में नाम नहीं है जबकि विवादित आराजी वादीगण के दादा सोन्या पुत्र रामकिशन की है व रेकार्ड में जमाबन्दी भी पेश की है जिसका प्रतिवादीगण ने कोई ऐतराज नहीं किया है । रेस्पे0 सं0 2 की जो न्यायालय ने रिपोर्ट मंगवाई है उसमें भी तहसीलदार ने आनन्दा, बच्चू पिता सोन्या की खातेदारी मानी है । अधीनस्थ न्यायलय ने अपने निर्णय में प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का संतुलन किस प्रकार नहीं माना दर्ज नहीं किया है जबकि राजस्व रेकार्ड में साफ जाहिर है कि विवादित आराजी रास्ता जो हाल ख0 नं0 1119 में हाल बन्दोबस्त ने दिखाया है, पूर्व के इन्द्राज में दर्ज नहीं है जो पूर्व का ख0 नं0

455 था । उन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.टी. 2016 पेज 374 व 649 पेश की । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है और अपील अपीलांट स्वीकार करने की इस्तदुआ की ।

जवाब बहस में राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने कहा कि तहसीलदार मालाखेड़ा द्वारा रिपोर्ट पेश कर कहा कि बन्दोबस्त के दौरान भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक आराजी ख0 नं0 455 रकबा 3 बीघा जिसके हाल ख0 नं0 1117 रकबा 0.25 किस्म बारानी 2, 1118 रकबा 0.40 किस्म बारानी 2, 1119 रकबा 0.10 किस्म गै0मु0 रास्ता कायम किये हैं । राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 खाता सं0 5 आनन्दा, बच्चू पिता सोन्या स.भा. हिस्सा 3/4 ननगो पत्नि स्व0 लालाराम, मुकेश, खुशीराम पिता लालाराम, गुलाब, कल्लो, लाली, सुनीता, अनिता पुत्रीयान लालाराम स.भा. हिस्सा 1/4 जाति माली सा0देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है । तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर सही निर्णय पारित किया है क्यों कि विवादित आराजी गै0मु0 रास्ता दर्ज है जिस पर किसी भी पक्षकार को कोई हक व अधिंकार नहीं बनता है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपील के तथ्य तथा वाद के तथ्यों का अवलोकन किया गया और तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 30.03.2017 का अवलोकन किया गया । विवादित आराजी हाल ख0 नं0 1119 रकबा 10 ऐयर हाल रेकार्ड में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी के पिता आनन्दा के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं, परन्तु विवादित आराजी की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज हुई है । बन्दोबस्त से पूर्व उक्त आराजी का साबिक ख0 नं0 455 रकबा 3 बीघा अपीलांट के दादा सोन्या पुत्र रामकिशन माली के नाम से दर्ज रेकार्ड है तथा किस्म बारानी दोयम दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल से साबिक ख0 नं0 455 के हाल ख0 नं0 1117, 1118, 1119 बनने पाये जाते हैं । ख0 नं0 1117 व 1118 में किस्म बारानी दर्ज है तथा ख0 नं0 1119 में किस्म गै0मु0 रास्ता है ।

चूंकि ये गलत इन्द्राज बन्दोबस्त विभाग द्वारा किये गये है जिनका दुरूस्ती का दावा तहत न्यायालय में विचाराधीन है । अपीलांट प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट के माध्यम से उनकी खातेदारी की आराजी ख0 नं0 1119 में गलत इन्द्राज किस्म के आधार पर किसी प्रकार से पक्का रास्ता कायम किये जाने के विरोध में स्थगन चा रहे हैं । तहत न्यायालय ने गलत रूप से वादी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट खारिज किया है ।

प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति अपीलांट/वादी के पक्ष में उपरोक्त विवेचन से पायी जाती है । इसलिए तहत न्यायालय का आदेश निरस्तनीय है तथा अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य पायी जाती है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर के निर्णय दि0 30.03.2017 निरस्त किया जाता है तथा रेस्पो0 को जरिये अस्थाई स्थगन आदेश से मूल वाद के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि वे अपीलांट/वादी को उनकी खातेदारी के ख0 नं0 1119 रकबा 10 ऐयर में काश्त करने व उसका उपयोग–उपभोग करने में कोई दखलंदाजी नहीं करें तथा बिना किसी प्रकार का पक्के रास्ते का निर्माण खातेदार की सहतति के बिना नहीं करें । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/8/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर